



राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०

7/23, सेक्टर-7, गोमतीनगर विस्तार (निकट डायल 100), लखनऊ-226027

Website-sudaup.org

पत्रांक: 275 /241/एनयूएलएम/2022-22

दिनांक: 21 अप्रैल 2022

सेवा में,

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण
सम्बन्धित जनपद।

विषय- वित्तीय वर्ष 2022-23 में दीनदयाल अन्त्योदय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डे-एनयूएलएम) एस०एन०ए० खाते के अन्तर्गत जनपद पर खोले गये सहायक खाते में निम्न विवरणानुसार धनराशि की लिमिट निर्धारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

वित्तीय वर्ष 2022-23 में दीनदयाल अन्त्योदय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डे-एनयूएलएम) के घटक एस०यू०एच० के अन्तर्गत जनपद में निर्मित सेक्टरहोम के संचालन हेतु निम्न विवरणानुसार आपके जनपद पर योजनान्तर्गत बैंक आफ बडौदा में खोले गये सहायक खाते में जनपद स्तर से व्यय हेतु धनराशि की लिमिट निर्धारित की जा रही है:-


(धनराशि ₹० लाख में)


क्र०सं०	जनपद का नाम	लिमिट निर्धारण हेतु धनराशि	खाता संख्या
01	रायबरेली-घौरहारा	7.986	77240100017326
02	रायबरेली-मुंशीगंज	5.988	तदैव
	योग	13.974	

1-उपरोक्तानुसार घटकों में निर्धारित की गयी लिमिट की सीमा के अन्तर्गत धनराशि का व्यय केवल उसी मद में किया जायेगा जिस मद में धनराशि की लिमिट दी जा रही जा रही है।

2-धनराशि का नियमानुसार उपयोग किये जाने के उपरान्त अभिकरण को निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राथमिकता पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

3-डे-एनयूएलएम योजना के उपघटकों हेतु जारी दिशा-निर्देश एवं कार्यवृत्त में उल्लिखित बिन्दुओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।



19.04.2022
(वित्त नियन्त्रक)
सूडा


20.4.22
(निदेशक)
सूडा

पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि-

- परियोजना निदेशक/परि० अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण सम्बन्धित जनपद को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रभारी अधिकारी, डे-एनयूएलएम/ वेबमास्टर, सूडा/कम्प्यूटर सेल/पीएफएफएस विशेषज्ञ-सूडा।


19.04.2022
(वित्त नियन्त्रक)
सूडा